अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय
उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जालौन
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1647 / एम–16 / 58 दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषयः— नोडल अधिकारी, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै0 जी0वी0पी0आर0 एवं मै0 बी0जी0सी0सी0 द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए0के0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 व दिनांक—यथोपरि
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

अधिशासी अभियन्ता

(ए0के0

Scanned with OKEN Scanner

		सड़क मरम्मत कार्य शीघ्र कराए जाने की मांग की गई।	
2	बी0जी0 सी0सी0	भूजल आधारित वीरपुरा ग्राम समूह पाइप योजनांतर्गत विकासखण्ड जालौन के ग्राम बीरपुरा में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण एजेंसी BGCC द्वारा कराए गए पम्प बोर का केवल एक बार परीक्षण किया गया था। परीक्षण पश्चात एजेंसी की लापरवाही के कारण बोर होल पर सुरक्षा कैप नहीं लगाई गई, जिसके चलते ग्रामवासियों द्वारा बोर होल में ईंट–पत्थर आदि डाल दिए गए। उक्त जानकारी निर्माण एजेंसी BGCC द्वारा उपलब्ध कराई गई। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि संबंधित बोर अपने निर्माण के समय से खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही, एजेंसी द्वारा अब तक पम्प हाउस की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं कराया गया है, जिससे स्थल की सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रभावित हो रही है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एजेंसी को नवीन बोर कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है	वीरपुरा नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनांतर्गत ग्राम वीरपुरा में नवीन बोर कराए जाने, पम्प हाउस परिसर की सुरक्षा एवं वाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य किए जाने हेतु खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1319/एम–66/02 दिनांक 22.05.2026 कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सी को निर्देशित किया गया है।कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी के पत्रांक 431/BGCC/Jalaun/2025-26 दिनांक 17.06.2026 के द्वारा कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है तथा एजेन्सी द्वारा योजनान्तर्गत बीरपुरा ग्राम एवं सभी ग्रामों में पेयजल आपूर्ति 31.07.2026 तक प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

Scanned with OKEN Scanner